न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़ (राज.)

परिवाद संख्या 36/2017

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,प्रतापगढ़

—प्रार्थी

बनाम

श्री कन्हैयालाल पाटीदार पिता रूपचंद पाटीदार मेसर्स कन्हैयालाल रूपचंद निवासी चड़वतो का मोहल्ला, गॉव कुलमीपुरा तहसील प्रतापगढ़

— अप्रार्थी

:—आदेश—:

दिनांक 29/12/2017

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प1 (2)कार्मिक/क—4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ ने अप्रार्थी के विरूद्व एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने मिसब्राण्डेड Packged Drinking water का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) व 2(V)का उल्लंधन किया है; जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 58 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटीफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र नोटीफिकेशन की प्रति, माल खरीद की प्रति, बिल असल, फार्म नं. 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, खाद्य विशलेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर द्वारा फार्म नं. 6 की प्राप्ति रसीद एवं नमूना मय फार्म नं0 6 की प्राप्ति रसीद प्रस्तुत की है। अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीनों भागों की फार्म नं0 6 की पुश्त पर प्राप्ति रसीद, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र विक्रेता द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र ,प्रार्थना पत्र मय पहचान पत्र तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 26.05.2017 को 1.00 पी.एम. पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने मेसर्स कन्हैयालाल रूपचंद (अस्थाई टेंट में स्थित), हॉल सीतामाता मेला, पाल तहसील व जिला प्रतापगढ़ पहुंचा। अपना परिचय दिया, परिचय लिया। इस समय दूकान पर कन्हैयालाल पाटीदार पुत्र श्री रूपचंद पाटीदार उपस्थित थे तथाा आमजनता को चाय, कोल्डड्रिंक्स व पेकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर आदि विक्रय हेतु रखे पाये। विक्रेता से पुछने पर निवासी

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,प्रतापगढ

चडवतों का मोहल्ला, गॉव कुलमीपुरा तहसील व जिला प्रतापगढ़ होना बताया। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर उक्त विक्रेता ने नही होना जाहिर किया। मौके पर कार्यालय ग्राम पंचायत पाल से सीतामाता मेला 2017 हेतु दूकान शुल्क प्राप्ति रसीद प्रस्तुत की, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता की उपस्थिति में अस्थाई टेंट में स्थित संस्थान का निरीक्षण किया जहा पर विक्रय हेतु प्रदर्शित Packged Drinking water (Royal's Pride Brand) की एक–एक लीटर वाली लगभग 28 बोतल मूल सील्ड अवस्था में आमजन को विक्रय वास्ते एक फ्रिज में रखी हुई थी। जिन पर फार्म नं. 5 ए पर दर्शाये अनुसार जानकारी अंकित थी। इसमे मिसब्राण्ड, सबस्टेण्डर्ड व अनसेफ का शक होने पर गवाहान के सामने मालिक को प्रपत्र 5 ए भरकर दिया। प्रपत्र 5 ए की मूल प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5 ए देने से पहले विक्रेता मालिक को बता दिया था कि यह Packged Drinking water (Royal's Pride Brand) का नमूना वास्ते एफएसएसए एक्ट के अन्तर्गत जॉच हेतु लिया गया है। मौके पर विक्रेता द्वारा उक्त Packged Drinking water को अन्य फर्म से खरीदने सम्बन्धी कोई भी बिल/वेट इनवाईस प्रस्तुत नही किया।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मालिक व गवाहान की उपस्थिति में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत Packged Drinking water(Royal's Pride Brand) के एक–एक लीटर वाली 12 बोतले मूल ही सील्ड अवस्था वास्ते जॉच हेतु खरीदी जिसकी कीमत विक्रेता को 180 रू नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर है।

यह कि आवेदक खाद्यसुरक्षा अधिकारी ने उक्त खरीदशुद बोतलो को चार जगह बराबर–बराबर बांट कर तीन–तीन बोतलों को चार जगह अलग–अलग हिस्सों में बांध कर चार लेबल तैयार किये गये, जिस पर डी.ओ. के कोड क्रमांक वाई–867 लिखा व अन्य विवरण अंकित किया गया। प्रत्येक लेबल पर मालिक विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा आवेदक ने किये। उक्त तैयार लेबल में से एक–एक लेबल प्रत्येक नमूना बोतलों के हिस्सो पर गोंद से चिपकाया जाकर प्रत्येक बोतलो पर डी.ओ. के कोड क्रमांक वाई'–867 गोंद से उपर से लेकर नीचे तक गोलाई में चिपकाकर मजबूत धागे से बांधकर चार चार जगह चपडी लगाकर नियमानुसार सीलबंद सीलमुहर किया। नियमानुसार नमूना लेकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लिये गये चारों नमूनों को अपने जाप्ते में लिया । मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौका फर्द बनाई गई जिसे विक्रेता व गवाहान को पढ़कर,सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा गया ,जिन्होने पढ़,सुन समझकर कर अपने हस्ताक्षर किये । जिस सील से नमूना सील किया था जिसका निशान मौके पर ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द पर अंकित किया । उक्त समस्त कार्यवाही गवाहान व विक्रेता की उपस्थिति में की गई ।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,प्रतापगढ

कार्यालय में पहुॅच कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की प्रत्येक पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया गया था । फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर को दिनांक 29.05.2017 को देकर रसीद प्राप्त की । 1 नमूना मय फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर को दिनांक 29.05.2017 को खाद्यसुरक्षा अधिकारी द्वारा जमा करा कर रसीद प्राप्त की । शेष 2 सील बंद नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटर कवर में सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जमा करवाये जाने का उल्लेख किया गया है। जिनकी प्राप्ति रसीद फार्म नं0 6 की पुश्त पर है । शेष चौथा नमूना मय फार्म नं0 6 की प्रति चपड़ी से सिलबन्द सिलमोहर कर दिनांक 29.05.17 को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जमा कराई, प्राप्ति रसीद फार्म नं0 6 की पुश्त पर है ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अग्रेषण पत्र द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मालूम हुआ कि उनके द्वारा लिया गया Packged Drinking water का नमूना धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अन्तर्गत मिसब्राण्डेड होना पाया गया है। अभिहित अधिकारी द्वारा विक्रेता को धारा 46(4) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड पत्र भेजा गया ।

अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रकरण तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया । इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद प्रस्तुत किया ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री कन्हैयालाल पाटीदार को अपना पक्ष स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत करने हेतु विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया ।

अप्रार्थी अभियुक्त को उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद में वर्णित तथ्यों को पढ़कर अवगत कराया गया । अप्रार्थी अभियुक्त ने अपने जवाब में उसके उपर लगाये गये आरोपों को अस्वीकार किया और बताया कि उसके द्वारा मेले में टेंट व लाईट व्यवस्था का ठेका लिया था एवं उक्त कार्य करने के दौरान मजदूरों को पानी पिलाने हेतु छोटीसादडी से आये टेम्पो से दो कैरट पानी की बोतले खरीदी थी। अप्रार्थी द्वारा बताया गया कि वह पानी का कोई व्यवसाय नही करता है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अपने उपर लगाये गये आरोप को अस्वीकार किया गया है।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ

परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. 290/एक्ट/2017/301 दिनांक 15.06.2017 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अपनी अस्थाई दूकान से बेचा जा रहा Packged Drinking water का नमूना 3(1)(zf)(C)(i) के अन्तर्गत मिसब्राण्डेड होना पाया गया है।

अतः उपरोक्त रिपोर्ट बताती है कि अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) एवं 2(V)के तहत अमानक पदार्थ बेचने का दोषी है जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 व 58 में अमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है । लेकिन अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में बताया गया कि अप्रार्थी किसी भी प्रकार का पानी का कोई व्यवसाय नही करता है जिससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी की उक्त प्रकरण में कोई गलती नही है। उपरोक्त को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्त को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित नही है । अतः अप्रार्थी के विरूद्व चल रही प्रकरण की कार्यवाही ड्रॉप की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2017 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(हेमेन्द्र नागर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़

क्रमांक/रीडर/2017/280-82 दिनांक 29.12.2017

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं ,जयपुर ।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ ।
3. अप्रार्थी अभियुक्त श्री कन्हैयालाल पाटीदार पुत्र श्री रूपंचद पाटीदार निवासी चडवतो का मोहल्ला गॉव कुलमीपुरा तहसील व जिला प्रतापगढ़

(हेमेन्द्र नागर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़